

C/No-32/2020

त्रिलोक बनाम शंकर

31/01/2022

वकील वादी द्वारा शां.पत्र वादो
पत्रावली तय कर वाद विद्दो करने
बाबत जेश आदेश 23 R 1 C.P.C. के
कारण पत्रावली आज नियत तिथि से
पूर्व जेश हुई। वकील वादी एवं वकील
द्वारा निवेदन किया कि वकील एवं वकील
एक ही परिवार के सदस्य हैं। एवं वकील वाद
को चलाया नहीं जाये है। वकील वकील
वाद विद्दो करना चाहते हैं। अतः वकील
का शां.पत्र रद्दीकार किया जाकर वादी का
वाद खारिज किया जाता है।

त्रिलोक
भादव

आगत्य
भादव

Prattal
42

(वकील/वकील)
42

अतः पत्रावली फेरल
शुमार होकर पत्रावली नम्बर ले कम है।

उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

